न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बरही, हजारीबाग।

वाद सं0–93/2022 धारा–144 द0प्र0स0

अब्दुल मनान –बनाम– सहीदा खातुन वगै0

तारिख	–: आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर :–	अभियुक्ति

यह वाद आवेदक तथा इनके विज्ञ अधिवक्ता के आवेदन के आधार पर इनके विज्ञ अधिवक्ता द्वारा दिये गये तर्क के अनुसार दिनांक 23.06.2022 को द0प्र0स0 कि धारा 144 के तहत कार्रवाई को प्रारम्भ करते हुए दोनों पक्षों को विवादित भूमि पर जाने से 02 (दो) माह के लिए रोक लगाई गई।

विवादी भूमि का ब्यौरा इस प्रकार है :–

मौजा– कोनरा, थाना–बरही,जिला–हजारीबाग।

खाता नं0	प्लौट नं0	रकबा	चौहदी
32	826	05 डी0	उ0– रहमान मियां द0– रास्ता पू0– मो0 समसुछीन प0– इबरार मियां
32	850	02 डी0	उ0– रहमान मियां द0– इबरार मियां पू0– खुर्सीद मियां प0– गफुर मियां
32	963	16 डी0	उ0– गफुर मियां द0– रास्ता पू0– एनुल हक प0– रास्ता

प्रथम पक्ष के द्वारा अपने पक्ष में कारण पृच्छा एवं अन्य कागजातों की छायाप्रति दाखिल किया गया। द्वितिय पक्ष द्वारा अपने पक्ष में कारण पृच्छा एवं कोई कागजात दाखिल नहीं किया गया। प्रथम पक्ष द्वारा दाखिल कारण–पृच्छा एवं अन्य कागजातों के अवलोकन से प्रतीत होता है कि वादी प्रतिवादी प्रश्नगत भूमि के खतियानी रैयत पीरू मियां वगै0 के वंशज है,विवाद हिस्सेदारी को लेकर है,जिसमें किसी प्रकार का आदेश पारित करना उचित प्रतित नहीं होता है। वादी/प्रतिवादी यदि चाहे तो मामले को सक्षम व्यवहार न्यायालय में दायर कर निष्पादन कर सकते है।इसी के साथ वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

Digitally signed by POONAM KUJUR
Date: 2023.02.09 18:32:33 +05:30
Location: 192.168.101.238

अनुमण्डल दण्डाधिकारी,
बरही, हजारीबाग

अनुमण्डल दण्डाधिकारी,
बरही, हजारीबाग